

परिचायक-टिप्पणी

जहां तक व्यय संबंधी व्यवस्थाओं का संबंध है यह पुस्तक केन्द्रीय सरकार के बजट का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है। इसे तीन भागों अर्थात्, भाग-I सामान्य, भाग-II आयोजना-भिन्न व्यय, और भाग-III आयोजना परिव्यय में बांटा गया है। विवरण और अनुबन्ध, जो इस पुस्तक का एक हिस्सा है, स्वतः स्पष्ट हैं और उनका उल्लेख आलेख में यथास्थान किया गया है। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के मामले में विभिन्न विवरणों में शामिल की गई व्यय व्यवस्थाएं वसूलियां और प्राप्तियां घटाकर दिखाई गई हैं ताकि व्ययों और प्राप्तियों के आंकड़ों का बहुत अधिक विस्तार न हो। इसी प्रकार, राज्यों को दिए गये ऐसे अल्पावधिक ऋणों और अग्रिमों को, जिनको उसी वर्ष के दौरान वसूल कर लिया गया है, घटाकर प्रदर्शित किया गया है।

2. इस पुस्तक में प्रस्तुत व्यय के अनुमानों में, रेलवे मंत्रालय के लेन-देनों के विस्तृत विश्लेषण को सम्मिलित नहीं किया गया है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण में रेलवे मंत्रालय सहित केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों का व्यय शामिल किया गया है।

3. संविधान के अनुच्छेद 113 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत अनुदानों की मांगों के द्वारा संसद की स्वीकृति व्यय की "सकल" राशियों के लिए मांगी गई है, जिनमें उन "वसूलियों" को हिसाब में नहीं लिया गया है जिन्हें खातों में व्यय में से घटाकर प्रदर्शित किया जाता है। इन वसूलियों की राशियों को अनुदानों की सम्बन्धित मांगों में भी दिखाया गया है। खाते में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय को, इन वसूलियों को घटाने के बाद, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, व्यय की विभिन्न मदों को समुचित रूप में स्पष्ट करने के लिए, इस पुस्तक में, कुछ ऋण-भिन्न प्राप्तियों को भी घटाया गया है। इस पुस्तक के अनुबन्ध-1 में खाते के प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत इस प्रकार के समायोजनों के बाद व्यय को दिखाया गया है। अनुबन्ध 2 में अनुबन्ध 1 में दिए गए जोड़ों तथा वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के जोड़ों और अनुदानों की मांगों का मिलान किया गया है।

4. केन्द्रीय सरकार द्वारा दर्शाये गए व्यय अनुमानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

5. राज्यों की बड़े लम्बे समय से मांग रही है कि केन्द्र की कर प्राप्तियों में उनका हिस्सा अधिक होना चाहिए। कई राज्यों ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) की सभी के लिए उपयुक्त-एक-आकार की आवश्यकता पर आपातियां भी व्यक्त की हैं और इसलिए उन्होंने प्रायः, वैकल्पिक रूप से, विखण्डित केन्द्रीय सहायता के अधिक प्रवाह की मांग की है।

6. अब, चौदहवें वित्त आयोग ने, वास्तव में, राज्यों को केन्द्रीय कर प्राप्तियों के वहनीय बृहत्तर विभाजन की सिफारिश की है। 13वें वित्त आयोग द्वारा की गई 32% की सिफारिश के यथा विपरीत, विभाज्य पूल के 42% वितरण की सिफारिश राज्यों के लिए की गई है। वर्ष 2015-16 में कुल वितरण (स्थानीय निकायों को अनुदानें और कुछ राज्यों को राजस्व घाटा अनुदानें, जो 42% के विभाजन से अधिक है, की गणना न करते हुए) 2014-15 की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक होगा।

7. राज्यों के व्यय की गणना में, वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा राज्य आयोजनाओं को केन्द्रीय सहायता के लिए किए गए व्यय को शामिल किया है। इस संबंध में, 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 7.43 में यह उल्लिखित है :

"राज्यों के आयोजना संबंधी राजस्व व्यय को राज्यों के स्वयं के संसाधनों से, उधार और योजना अनुदानों को केन्द्र से वित्तपोषित किया जाता है। योजना अनुदानों में सामान्य केन्द्रीय सहायता शामिल है, इसे विशिष्ट-उद्देश्य वाली स्कीमों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और अंतरणों, विशेष योजना सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता; केन्द्रीय आयोजना स्कीमों और केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु सहायता के रूप में जारी किया जाता है। राज्यों

के योजना राजस्व व्यय के हमारे आकलन के प्रयोजनार्थ, हमने राज्य की योजनाओं पर किया गया व्यय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्यों का अंशदान शामिल है। इसमें, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, केन्द्रीय आयोजना स्कीमों और पूर्वोत्तर परिषद की योजनागत स्कीमों और केन्द्र के अनुदान से वित्तपोषित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित केन्द्रीय व्यय सम्मिलित हैं। हमने 2012-13 और 2013-14 से 13.5 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर को लागू करते हुए, प्रत्येक राज्य के लिए 2014-15 आधार वर्ष के योजनागत राजस्व व्यय (ऊपर यथा-परिभाषित) का अनुमान लगाया है। हमने, अपनी संभावित अवधि के प्रयोजनार्थ, यह मानते हुए सभी राज्यों के लिए आधार वर्ष अनुमानों पर 13.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के वार्षिक विकास दर को माना है कि आयोजना राजस्व व्यय में भी सकल घरेलू उत्पाद विकास दर के समान वृद्धि होगी।"

8. केंद्रीय सरकार ने इस मत के आधार पर कि केवल सुदृढ़ राज्यों से भारत सुदृढ़ बनेगा, सहयोगी संघवाद को वृहत्तर और वास्तविक अभिप्राय देने की परिकल्पना की है। केंद्रीय आयोजना निकाय, योजना आयोग, का प्रतिस्थापन, नीति, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का संयुक्त निकाय है, से करने की भावना को बनाए रखते हुए, केंद्रीय सरकार ने राज्यों को 14वें वित्त आयोग की 42% वितरण की सिफारिश को भी स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

9. तथापि, यह ध्यान में रखते हुए कि इनमें से कुछ स्कीमों राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करती हैं, विशेष तौर पर ऐसी स्कीमों जिनका उद्देश्य गरीबों को सहायता प्रदान करना है, सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि यह इनमें से कुछ स्कीमों में योगदान जारी रखेगी।

10. उपयुक्त के आधार पर, 30 से अधिक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को चिह्नित किया गया है जिन्हें राज्यों को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि राज्यों को दिए जाने वाले 42% के अपेक्षाकृत अधिक अंतरण पर पहुंचने में, उनसे संबंधित व्यय को राज्य के व्यय से पहले से ही ध्यान में रखा गया है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इनमें से अनेक स्कीमों राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली स्कीमों हैं, और कुछ विधिक बाध्यताएं (जैसे मनरेगा) वाली हैं तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, खासकर गरीबों के हित वाली बनाई गई योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार की निरंतर सहायता के लिए, इनमें से अधिकांश जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव है कि केवल 8 केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं को केन्द्र की सहायता से अलग कर दिया जाए। ऐसी योजनाओं की सूची **अनुबंध-8** में दी गई है।

11. सरकार के कतिपय कार्यक्रमों को बिना किसी परिवर्तन के जारी रखना होगा क्योंकि या तो वे विधिक/संवैधानिक बाध्यताएं हैं, या निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्रों के कल्याण के लिए विशेषाधिकार वाले हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सरकार कतिपय ऐसे कार्यक्रमों को, उनमें कोई परिवर्तन किए बिना, अपने संसाधनों से सहायता देती रहेगी जो सामाजिक रूप से उपेक्षित लोगों के लिए हैं। **ऐसे कार्यक्रमों की संकेतात्मक सूची अनुबंध "8क" के रूप में संलग्न है।**

12. विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के संबंध में, विभाजन पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जिससे स्कीम के कार्यान्वयन से राज्यों का राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिक हो जाएगा। विभाजन पद्धति में परिवर्तनों का ब्यौरा, केंद्रीय वित्तपोषण साधनों से उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। विभाजन पद्धति जिन स्कीमों के विभाजन प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा, उनकी संकेतात्मक सूची अनुबंध "8ख" पर दी गई है।

13. वित्त वर्ष 2015-16 से, विवरण संख्या 16क मंत्रालयों/विभागों की केंद्रीय आयोजना के अंतर्गत मुख्य स्कीमों को दर्शाते हुए शुरू की गई है।

14. व्यय बजट खण्ड 1 और 2 में 2013-14 के वास्तविक आंकड़े अनन्तिम हैं।